संख्याः 1408 /X-3-25/1(118)/2016
ई0 पत्रावली संख्या– 74049

प्रेषक,

कहकशां नसीम,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, फॉरेस्ट कालोनी, इन्दिरानगर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन अनुभाग–03 देहरादूनः दिनांकः 05 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2025

विषयः जनपद टिहरी गढ़वाल में घनसाली पुलिस चौकी के निर्माण हेतु 0.2 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु गृह विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–2850/12–1, दिनांक 29 मई, 2025 एवं सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू0सी0पी0/09/56/2024/एफ0सी0/168, दिनांक–06.05.2025 (प्रति संलग्नक) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद टिहरी गढ़वाल में घनसाली पुलिस चौकी के निर्माण हेतु 0.2 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु गृह विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के कम में अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन **विधिवत स्वीकृति** प्रदान करते है :–

1–वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

2–परियोजना के लिए आवश्यक गैर वानिकी भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सौपने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।

3–प्रतिपूरक वनीकरण : प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 0.4 है0 आरक्षित वन भूमि, गोरैया कक्ष सं0–13 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाएगा और प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

4–प्रस्ताव में प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो का भी अक्षरशः पालन किया जाएगा।

5–वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से सुनिश्चित किया जाएगा।

6–प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को यथासंभव न्यूनतम रखेगा

जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में 02 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।

7–प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना में संबधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा Mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार Under Pass/over pass, अन्य कार्यो का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।

8–The user agency in consultation with the state Goverment shall create and maintain alternate habital/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable

9-The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable

10-The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable. The State forest Deperment shall prepare Wildlife Mitigation/Management plan (WLMP) or soil and moisture conservation plan (SMCP) at the cost of user Agency, which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2%(for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.

11–पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

12–केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

13–वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।

14–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों कों राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।

15–संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।

16—परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निमार्ण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।

17—वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

18—केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी।

19—प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौंधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एंव पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।

20—यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

21— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।

<u>संलग्नक—यथोपरि:</u>

भवदीया,

Digitally signed by
Kahkashan Naseem
Date: 04-08-2025
18:31:19

(कहकशां नसीम)
अपर सचिव।

<u>संख्याः 1408 (1)/X-3-25/1(118)/2016,तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
2—जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3—प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
4—पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Hema Pandey
Date: 05-08-2025
09:44:30

(हेमा पाण्डे)
उप सचिव।

1 (118) | 2016   1251 | X-3-25

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun

सत्यमेव जयते

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 बी/यू०सी०पी०/09/56/2024/एफ०सी/168   दिनांकः As per E-sign   E-74049

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

कार्यालय प्रमुख सचिव
पत्र संख्या 3173/2025
दिनांक 23/5/2025

विषयः- जनपद- टिहरी गढ़वाल में घनसाली पुलिस चौकी के निर्माण हेतु 0.2 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु गृह विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के संबंध मे। (Online Proposal No. FP/UK/OTHERS/13110/2015).

सन्दर्भः 1. अपर सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 1812/X-3-24/1(118)/2016 दिनांक:29.11.2024.

2. कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 2170/12-1 : देहारादून: दिनांक:23.04.2024.

SO (F-3)

27/05/25

(सत्यप्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन

महोदय,

उपरोक्त विषय अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक **29.11.2024** का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 संशोधन वर्ष **2023** के प्रावधानों के तहत स्वीकृति मांगी थी।

Secy - for

266 (सं)

AS(F-3)

प्रश्नगत प्रकरण में अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 20.07.2016 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालना अपर सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है तथा प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा EDS का जबाब प्रस्तुत किया जा चुका है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार - जनपद- टिहरी गढ़वाल में घनसाली पुलिस चौकी के निर्माण हेतु **0.2** है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु

23/5/25

26.05.2025

(सी0 रविशंकर,
सचिव, वन
कौशल विकास एवं सेवायोजन
उत्तराखण्ड शासन)

JS(F)

1731/AS(F)/2025

श्री आशुतोष गौड़

गृह विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के संबंध मे हेतु **विधिवत् स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर-वानिकी भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सौंपने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण** : प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 0.4 है० आरक्षित वन भूमि, गोरैया कक्ष सं० –13 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाएगा और प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।
4. प्रस्ताव में प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो का भी अक्षरशः पालन किया जाएगा।
5. वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से सुनिश्चित किया जाएगा
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को यथासंभव न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में 02 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
7. प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass / overpass, अन्य कार्यो का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।
8. The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable.
9. The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable.

10. The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable. The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/ Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.

11. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

12. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

13. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

15. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

16. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

18. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

19. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने

का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

20. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

This bears the approval of competent authority.

भवदीया,

Digitally signed by
Neelima Shah
Date: 06-05-2025
15:28:27

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ 0 सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तृतीय तल (फ्रंट पॉर्शन), सूप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग (लाइन-3), नई दिल्ली-110001 (Email: nationalcampa-moefcc@gov.in).
4. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, उत्तराखण्ड।
5. आदेश पत्रावली।